

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर

अवमानना संख्या 77 / 2019  
(अपील संख्या 2540 / 2003)

श्रीमती रूपा कपाड़िया

—अपीलार्थी

बनाम

श्री हेमन्त कुमार शासन सचिवालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर  
एवं अन्य

—प्रत्यर्थीगण

आदेश दिनांक :

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य  
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी अधिवक्त उपस्थित। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रभारी अधिकारी उपस्थित। उनके द्वारा जाहिर किया गया कि अधिकरण के आदेश दिनांक 14.06.2018 को माननीय उच्च न्यायालय के एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 22640 / 2018 के आदेश दिनांक 18.09.2019 के द्वारा स्थगित किया गया है। अतः अधिकरण के समक्ष उक्त आदेश की अवमानना का कोई औचित्य नहीं रह गया है।

अतः उक्त आधार पर अवमानना प्रार्थना पत्र को ड्रॉप किया जाता है।  
पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(चेतन राम देवड़ा)  
सदस्य

(शुचि शर्मा)  
सदस्य